

सेवा में,

श्रीमान के.डी. लोच सूचना अधिकारी,

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया,

पोस्ट-14, सेक्टर-8, मई दिल्ली.

विषय: सूचनाधिकार के अन्तर्गत सूचना माहने हेतु प्रार्थनापत्र
महोदय,

सविनय निवेदन है कि प्रार्थी सूचना का अधिकार अधिनियम -
2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर सूचना चाहता है।

बिन्दु 1: विदेश से MBBS सम्पन्न कोर्स करने वाले विद्यार्थी हेतु
विदेश में यूनिवर्सिटी/विश्वविद्यालय कोर्स के दौरान बदलने
हेतु दिशा-निर्देशों का विवरण/कायाप्रति साहित्य।

बिन्दु 2: विदेश से MBBS कोर्स करने वाले किस वर्ष से पूर्व के
विद्यार्थी पर विश्वविद्यालय बदलने पर भी योग्यता (MCP में
रजिस्ट्रेशन हेतु) है।

बिन्दु 3: यदि विद्यार्थी द्वारा वर्ष 2007, 2008, 2009 में विदेश के
मेडिकल विश्वविद्यालय में MBBS सम्पन्न कोर्स में प्रवेश
प्राप्त कर वर्ष 2012, 2013, 2014 में कोर्स के दौरान
विश्वविद्यालय बदला गया तथा वह मेडिकल काउंसिल ऑफ
इंडिया के स्क्रीनिंग टेस्ट हेतु योग्य है या नहीं? कृपा
स्पष्ट विवरण प्रदान करने की कृपा करे/दिशा निर्देशों की कायाप्रति साहित्य।

बिन्दु 4: किसी विद्यार्थी द्वारा विदेश से MBBS सम्पन्न कोर्स करने के दौरान
किसी अपरिहार्य कारणों से सत्रवार 3 वर्ष का अंतर लगाया हो।
तो क्या वह विद्यार्थी कोर्स के दौरान छूटे हुए सत्र पूरा पूर्ण
कर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के स्क्रीनिंग परीक्षा में सम्मिलित होने
योग्य है? कृपा सम्बंधित दिशा निर्देशों की कायाप्रति उपलब्ध कराने की
कृपा करे।

बिन्दु 5: विदेश में MBBS सम्पन्न कोर्स में प्रवेश लेने वाले किस
वर्ष के विद्यार्थी विश्वविद्यालय बदलने के लिए विश्वविद्यालय
बदलने के उपरान्त कोर्स पूर्ण करने पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया
के स्क्रीनिंग टेस्ट में योग्य पात्र है? दिशा निर्देशों की कायाप्रति साहित्य।
महोदय से विनम्र निवेदन है कि सूचना शीघ्र प्रदान करने की कृपा करे
धन्यवाद.

दि. 16/09/2017

प्रार्थी (सहस्र)

सौरभ कुमार सिंह पुत्र श्री
विजय सिंह,
श्री. नृत्या सिंह जसपुर
उद्यम सिंह नगर (उत्तराखण्ड).